



...the name you can BANK upon!



Share Department, Board & Coordination Division, Head Office Plot No.4 Sector 10, Dwarka,
New Delhi-110075, E-mail: hosd@pnb.bank.in

Scrip Code : PNB	Scrip Code : 532461
National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001

Date: 01.09.2026

Dear Sir(s),

Reg: Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank

This is in continuation to our intimation dated 14th August, 2026 regarding the Extraordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of the Bank, please find enclosed the detailed Notice of the EGM.

The Specified/Cut-off date for determining the eligibility of shareholders for nominating, contesting and voting in the Election was Friday, 28th August, 2026.

The remote e-voting shall commence from 9:00 a.m. on Tuesday, 22nd September, 2026 and end at 05.00 p.m. on Thursday, 24th September, 2026.

The above information is being submitted in compliance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

You are requested to take the above on record.

Thanking you



Company Secretary

Enclosed: Notice of EGM

pnb.bank.in

T: 011 28075000, 28045000

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

प्रधान कार्यालय: प्लॉट सं.4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
Head Office: Plot No. 4, Sector - 10, Dwarka, New Delhi 110075 India



पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank
...the name you can BANK upon !

असाधारण आम बैठक की सूचना

Notice of the Extraordinary General Meeting

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य
ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से
**Through Video Conferencing (VC) or
Other Audio-Visual Means (OAVM)**



शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | सुबह 11.00 बजे



Friday, 25th September 2026 | 11.00 a.m.

विषय-सूची

सूचना	3-3
टिप्पणियाँ	4-15
व्याख्यात्मक कथन	16-33
नामांकन फॉर्म	34-35
घोषणा और वचनबंध	36-46

महत्वपूर्ण तिथियाँ

असाधारण आम बैठक की तिथि	शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026
नामांकन, चुनाव लड़ने और चुनाव में मतदान के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट तिथि/कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026
नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	गुरुवार, 10 सितंबर, 2026 सायं 05.00 बजे तक।
नामांकनों की जांच (अगले कार्य दिवस पर)	शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि (यदि एक से अधिक वैध नामांकन हों)	सोमवार, 21 सितंबर, 2026 सायं 05.00 बजे तक।
रिमोट ई-वोटिंग की अवधि	मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को प्रातः 09.00 बजे से गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को सायं 05.00 बजे तक

प्रधान कार्यालय: प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

(ई-मेल आईडी: hosd@pnb.bank.in)

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक (इसके पश्चात इसे "बैंक" से संदर्भित किया जाएगा) के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम)** के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

मद सं.1: बैंक के शेयरधारकों, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, में से एक निदेशक का चुनाव करने के संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके पश्चात "बैंकिंग विनियमन अधिनियम" के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके पश्चात "योजना" के रूप में संदर्भित), अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 (इसके पश्चात "पीएनबी विनियमन" के रूप में संदर्भित), सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 यथा संशोधित ("सेबी सूचीकरण विनियमन") तथा भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - अभिशासन) निर्देश, 2025 (इसके पश्चात "आरबीआई मास्टर निर्देश" के रूप में संदर्भित, और उसके अनुगामी संशोधन, यदि कोई हो) के निबंधनों के अंतर्गत वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, तथा निम्नलिखित संकल्प पारित किया जाता है:-

"यह संकल्प किया जाता है कि प्रासंगिक योजना, पीएनबी विनियमों, आरबीआई मास्टर निर्देशों के साथ पठित के अधिनियम की धारा 9(3)(i) अनुसरण में, केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से निर्वाचित **एक आवेदक शेयरधारक** को बैंक के निदेशक के रूप में **नियुक्त** किया जाता है, जो 06 अक्टूबर, 2026 से पदभार ग्रहण करेंगे तथा पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक इस पद पर बने रहेंगे।

उपर्युक्त संकल्प को सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 25 (2ए) के प्रावधानों के अंतर्गत भी माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.09.2026

हस्ता/-
(बिक्रमजित सोम)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F6517

टिप्पणियाँ:

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण आम बैठक

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने समय-समय पर जारी अपने पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित 22 सितंबर, 2025 के परिपत्र के द्वारा कंपनियों/सूचीबद्ध संस्थाओं को एमसीए परिपत्र(त्रों) में प्रदान किए गए ढांचे के अनुसार, अगले आदेश तक वीसी या ओएवीएम के माध्यम से अपनी आम बैठक आयोजित करने की अनुमति देता है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसके लिए सामान्य स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी। ईजीएम के लिए मान्य स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में सहभागिता, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा **नेशनल सिम्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)** द्वारा प्रदान की जाएगी।

शेयरधारक इस सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, जिसे शेयरधारकों के लिए 25 सितंबर, 2026 को प्रातः 10:30 बजे से अर्थात् ईजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक खुला रहेगा। बैंक/ एनएसडीएल वीसी/ ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए निर्धारित आरंभ के समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकता है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर कम से कम 1,000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देती है। बैंक की 2% या इससे अधिक शेयर पूंजी रखने वाले शेयरधारक, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के ईजीएम में भाग ले सकते हैं।

2. इस नोटिस में उल्लिखित कार्यसूची मद के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शाने वाला प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारक, स्वयं के स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का पात्र है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। **उपर्युक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, चूंकि शेयरधारकों की भौतिक**

उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, अतः प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा ईजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, नोटिस के साथ प्रॉक्सी एवं उपस्थिति पर्ची की नियुक्ति हेतु प्रलेख को संलग्न नहीं किया जा रहा है।

4. एक अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति, किसी निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और/या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित वास्तविक प्रतिलिपि, बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले यथा कार्यदिवस पर या उससे पहले अर्थात् **शनिवार, 19 सितंबर, 2026 को सायं 5.00 बजे तक** 'शेयर विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075' को संबोधित हार्ड कॉपी में बैंक को या hosd@pnb.bank.in पर ई-मेल के माध्यम से या evoting@nsdl.com या hosd@pnb.bank.in को मार्क करते हुए एक प्रति scrutinizer@snaco.net को ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को जमा कर दी जाए।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि:

चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से अर्थात् केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव के लिए **नामांकन, चुनाव लड़ने, बैठक में भाग लेना और मतदान के लिए निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि, शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026** है।

6. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3 (2 ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के सम्बन्ध में बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10% से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा। यदि कोई भी शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में जिसका नाम पहले है उसे एकल धारक माना जाएगा।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 के अनुसार जो शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र है, वे इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं।

7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

1. सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 यथासंशोधित प्रावधानों के अनुसार, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, बैंक अपने शेयरधारकों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधन (ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और

ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है।

II. ईजीएम के दौरान ई-मतदान:

वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प(पों) पर अपना वोट नहीं दिया है, वे ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

जिन शेयरधारकों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु वे पुनः ई-वोटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे।

III. रिमोट ई-वोटिंग हेतु निर्देश:

क. रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को प्रातः 09.00 बजे शुरू होकर गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को सायं 05.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026 बैंक के वे शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-वोट कर सकते हैं। इसके पश्चात, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

शेयरधारक शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को ईजीएम के दौरान और इसकी समाप्ति के 30 मिनट बाद तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी अपना ई-वोट कर सकते हैं

ख. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति का विवरण नीचे दिया गया है।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग

क) **डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि ।**

'सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा' पर सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी तथा डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ अनुरक्षित अपने डीमैट खातों के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि निम्नानुसार है

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। बैंक के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. मौजूदा IDeAS उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से एनएसडीएल अर्थात https://eservices.nsdl.com की ई-सेवाओं पर जा सकते हैं। ई-सेवाओं के होम पेज पर, "लॉग इन" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें जो "IDeAS" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, वहाँ आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, मूल्यवर्धित सेवाओं के अंतर्गत आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। बैंक के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 3. यदि आप IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज पर, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल में धारित आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। बैंक के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

	5. शेयरधारक/सदस्य नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके निर्बाध मतदान अनुभव की सुविधा के लिए एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीडी" भी डाउनलोड कर सकते हैं NSDL Mobile App is available on  App Store  Google Play  
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi /Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi /Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन और नए सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा My easi उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करें। 2) सफल लॉगिन के बाद Easi / Easiest उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार मतदान जारी है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता Easi /Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है तथा लॉगिन और न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होंगे।

व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं। बैंक के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और मतदान में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
---	---

महत्वपूर्ण सूचना: जो शेयरधारक उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड पुनः बनाने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी एवं फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-21-09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करने के चरण

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL: <https://www.evoting.nsdl.com> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/ सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज अर्थात् IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

4. आपकी उपयोगकर्ता आईडी का विवरण इस प्रकार है:

शेयर रखने का तरीका अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क) एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरेक्टर की डीपीआईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** होगी
ख) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी 12***** होगी।
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	EVEN नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूजर आई 101456001*** होगी।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार हैं:

- क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन कर सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं।
- ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा, जो आपको भेजा गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
- ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?
- यदि आपकी ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते या बैंक के पास पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ई-मेल आईडी पर भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ई-मेल ढूँढें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् .pdf फ़ाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड होगा। .pdf फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।
 - यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें **जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।**
6. यदि आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपने "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त नहीं किया है या भूल चुके हैं:
- क. www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "[Forgot User Details/Password?](#)" पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं)
 - ख. www.evoting.nsdl.com पर "[Physical User Reset Password?](#)" विकल्प उपलब्ध है। (यदि आपके पास भौतिक मोड में शेयर धारित हैं)
 - ग. यदि आप अभी भी उपर्युक्त दो विकल्पों से पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता सं./फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।
 - घ. सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर "Terms and Conditions" का चयन करके Agree पर टिक करें।

8. अब आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "Login" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने तथा ईजीएम में शामिल होना

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आपकी शेयरधारिता है और जिनका वोटिंग साइकिल तथा आम बैठक 'active' स्थिति में है।
2. आप पंजाब नेशनल बैंक के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं तथा सामान्य बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। ईजीएम में वर्चुअल भाग लेने के लिए, आपको "Join Meeting" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उचित विकल्प का चयन करके अपना वोट डालें, अर्थात् उन शेयरों की संख्या की सहमति या असहमति, सत्यापित/ संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और "Submit" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "Confirm" पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर, "Vote cast successfully" यह संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प को क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. ***संकल्प पर आपके वोट डालने की आपकी पुष्टि के बाद, आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।***

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, संवीक्षक को ई-मेल द्वारा scrutinizer@snaco.net पर साथ ही evoting@nsdl.com पर एक प्रति भेजें। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र" पर क्लिक करके अपने बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।

2. यह दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में विवरण के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "[Forgot User Details /Password?](#)" या "[Physical User Reset Password?](#)" विकल्प पर जाना होगा।

किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल को देख सकते हैं या 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तृतीय तल, नमन चैंबर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400051 निर्दिष्ट ईमेल पते: evoting@nsdl.com पर या टेलीफोन नंबर 022-48867000 पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ऐसे शेयरधारक जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है, तो कृपया फोलियो नं., शेयरधारक के नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अर्थात केफिन टेक्नोलॉजिस लि.(केफ़ीनटेक) को einward.ris@kfintech.com ई-मेल पर भेजें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में है, तो कृपया शेयरधारक डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी एनएसडीएल के लिए या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी सीएसडीएल के लिए), अपना नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति बैंक के आरटीए को einward.ris@kfintech.com ई-मेल पर भेजें। यदि आप एक डीमैट मोड में रखे प्रतिभूतियों के वैयक्तिक शेयरधारक हैं, तो आपसे **चरण 1 (क) अर्थात "डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन की विधि"** में बताई गई लॉगिन विधि का सन्दर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।
3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेजों को प्रदान करके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting.nsdl.com को अनुरोध कर सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

ईजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देशों पर उपर्युक्त इंगित पैराग्राफों के समान है।
2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे एवं जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे बैठक के दौरान इसकी समाप्ति के 30 मिनट बाद तक पूर्व में उल्लिखित विधि से ही ई-वोट करने के पात्र होंगे।
3. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट दिया है, वे ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे ईजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।
4. ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत/सहायता के लिए जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका विवरण इस नोटिस के पेज 12 पर सामान्य दिशानिर्देशों के बिंदु 2 में साझा किया गया है।

शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक ऊपर पैरा 7 में बताए गए चरणों का पालन करके **"Access to NSDL e-Voting system"** का उपयोग कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) के नाम के सामने **"Join Meeting"** मेन्यू के अंतर्गत **"VC/OAVM link"** का लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक **'Shareholder/Member login'** में उपलब्ध होगा जहां बैंक का **EVEN** प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय के भ्रम से बचने के लिए इस नोटिस के नोट्स के पैरा 7(III) में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. **ईजीएम से पूर्व प्रश्नों का सबमिशन**
ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में, शेयरधारक अपने प्रश्न पंजीकृत ई-मेल पते से, अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, अग्रिम रूप से बैंक की ई-मेल आईडी hosd@pnb.bank.in पर भेज सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में सहभागिता करने वाले शेयर धारक प्रश्न बॉक्स विकल्प में केवल बैठक के कार्यसूची मद के माध्यम से प्रश्न/फीडबैक दे सकते हैं। शेयरधारकों द्वारा ऐसे प्रश्नों को बैठक के दौरान उठाया जाएगा या बाद में बैंक द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।

8. संवीक्षक

मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ईजीएम के समापन पर, संवीक्षक प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में डाले गए कुल वोटों पर एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट बैठक के अध्यक्ष को सौंपेगा और इसके पश्चात, बैंक स्टॉक एक्सचेंजों, एनएसडीएल और बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणामों को प्रदर्शित करके मतदान के परिणाम तुरंत घोषित करेगा।

9. अन्य जानकारी

क. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पूर्ववर्ती परिपत्रों (त्रों) के साथ पठित इसके सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 के अनुसरण में, बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-वोटिंग आदि की प्रक्रिया और तरीके आदि का संकेत उन सभी शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिनके ई-मेल आईडी बैंक के आरटीए/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं।

ख. शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि ईजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट www.pnb.bank.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।

ग. बैंक द्वारा की गई 'हरित पहल' को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपनी ई-मेल आईडी बैंक के आरटीए और इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत करवाएं।

घ. नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, के मामले में, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि, शेयरधारक क्रमशः भौतिक रूप में धारित या डीमटेरियलाइज्ड के रूप में धारित शेयरों के लिए बैंक के आरटीए/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ इसे अपडेट करवा सकते हैं।

ङ. भौतिक धारिता का डीमटेरियलाइजेशन: सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, यथासंशोधित, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन अनुरोधों सहित प्रतिभूतियों के अंतरण के सभी अनुरोध केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में संसाधित किए जाएंगे। तदनुसार, डीमटेरियलाइजेशन के लाभों को प्राप्त करने और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने के उद्देश्य से, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पास भौतिक रूप में मौजूद शेयरों को डीमटेरियलाइज करें। इस संबंध में सहायता के लिए शेयरधारक बैंक के शेयर विभाग या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

च. शेयरों के डीमटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट अर्थात <https://www.pnb.bank.in/> पर 'Investor Info' के अंतर्गत उपलब्ध है।

व्याख्यात्मक कथन

मद सं. 1: एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार, निदेशक मंडल में आम बैठक में उनके शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) द्वारा चुने गए निदेशक शामिल होंगे। शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले ऐसे निदेशकों की संख्या नीचे दी गई है:

- एक निदेशक, जहां सार्वजनिक शेयरधारिता कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है;
- दो निदेशक जहां सार्वजनिक शेयरधारिता सोलह प्रतिशत से अधिक है लेकिन कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है;
- तीन निदेशक जहां सार्वजनिक शेयरधारिता कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है

आज की तिथि में, बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 29.92% है और अतः उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में, बैंक के पास केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों द्वारा चुने गए दो निदेशक होना आवश्यक है।

वर्तमान में बैंक के बोर्ड में शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशक अर्थात् श्री अंबरीश ओझा और श्रीमती वंदना भगवतुला हैं। श्रीमती वंदना भगवतुला का कार्यकाल 05 अक्टूबर, 2026 को पूर्ण होगा। 6 अक्टूबर 2026 से उत्पन्न होने वाली इस रिक्ति को भरने के लिए, बैंक एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव का प्रस्ताव करता है।

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक इसके बाद उल्लिखित प्रासंगिक अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/दिशानिर्देशों में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के पात्र हैं।

1. विधिक प्रावधान

प्रासंगिक अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/दिशानिर्देशों के प्रासंगिक उद्धरण/भाग यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई) धारा 16 (1) धारा 20	▪ पर्याप्त रुचि ▪ सामान्य निदेशकों का निषेध ▪ अपने किसी भी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबंध

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) अनुभाग 9(3एए) और धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	- मतदान के अधिकार पर प्रतिबंध - शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या - कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान - कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह पिछले ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और आरबीआई द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर 'उपयुक्त और उचित' दर्जा रखने वाला व्यक्ति न हो। - भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसे निर्वाचित निदेशक को हटाने का अधिकार है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। - निष्ठा और गोपनीयता के संबंध में दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	खण्ड 9(4) खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11क खण्ड 11ख खंड 12(8) खण्ड 14क	- निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल - बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या निदेशक होने से अयोग्यताएं - निदेशक का पद रिक्त होना - निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना - निर्वाचित निदेशक के पद पर आकस्मिक रिक्ति को भरना - निदेशकों द्वारा कुछ व्यवस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण, जिनमें वे रुचि रखते हैं। - विशेष प्रावधान- किसी समिति की शक्ति का प्रयोग, ऐसी समिति के गणपूर्ति की अनुपलब्धता की स्थिति में बोर्ड द्वारा किया जाना।

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000	विनियम 10 विनियमन 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69	- संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग - आम सभाओं में मतदान - निदेशकों का चुनाव आम बैठकों में किया जाएगा - शेयरधारकों की सूची - चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन - नामांकनों की जांच - चुनावी विवाद - मताधिकार का निर्धारण - विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान
भारतीय रिज़र्व बैंक ('वाणिज्यिक बैंक - शासन) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर 2025	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) और धारा 9(3एबी) के अनुसार	निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त और उचित मानदंड
आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2015, इस संबंध में किसी भी अन्य परिपत्र सहित संशोधित।	निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम राशि प्रदान करना।	
सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015।	स्वतंत्र निदेशक और उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान।	

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, योजना, पीएनबी विनियमों के साथ-साथ आरबीआई मास्टर निदेशों, जैसा कि संशोधित और भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, से संबंधित उद्धरण बैंक की वेबसाइट बैंक www.pnb.bank.in पर उपलब्ध कराए गए हैं। इस तरह के उद्धरण नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात **गुरुवार, 10 सितंबर, 2026 को सायं 05.00 बजे** तक या उससे पहले hosd@pnbank.in पर ई-मेल के माध्यम से कंपनी सचिव, पंजाब नैशनल बैंक को संबोधित अनुरोध प्राप्त होने पर इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल भी भेजे जाएंगे।

2. चुनाव में भागीदारी

वे शेयरधारक जिनका नाम निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026 को** एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में प्रदर्शित होता है,

वे केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव में **भाग लेने, चुनाव लड़ने और मतदान** करने के पात्र होंगे।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार निदेशक के चुनाव में मतदान देने के पात्र नहीं है।

3. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं

- I. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम की धारा 9 (3 ए) के अनुसार, एक उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है और जो अधिनियम की धारा 9(3)(आई) के अंतर्गत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की इच्छा रखता है उसे:

क. निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो,

अर्थात: -

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
- बैंकिंग,
- कॉ-ऑपरेशन,
- अर्थशास्त्र,
- वित्त,
- विधि,
- लघु उद्योग,
- सूचना प्रौद्योगिकी,
- भुगतान और निपटान प्रणाली,
- मानव संसाधन,
- जोखिम प्रबंधन,
- कारोबार प्रबंधन, और
- कोई अन्य मामला, जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी होगा।

ख. जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता है; या

ग. किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है

- II. अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार, बैंक का ऐसा शेयरधारक अभ्यर्थी, जो बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने का इच्छुक है, ट्रैक-रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा तथा ऐसे अन्य मानदंडों, जिनके संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है, के आधार पर 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति वाला होना चाहिए।
- III. अधिनियम की धारा 9(3एबी) के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक उप-धारा 3(ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण, इस तरह के निर्धारण का तरीका

भी निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसे निर्धारण और ऐसे अन्य मामलों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिन्हें आवश्यक या प्रासंगिक माना जा सकता है।

- IV. इसके अलावा, निर्वाचित निदेशक को अनुबंध पत्र निष्पादित करना चाहिए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्यता

- i) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 10 के अनुसार, किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा:

(क) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने भुगतान निलंबित कर दिया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो; या

(ख) यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया गया है; या

(ग) यदि उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है; या

(घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक के अंतर्गत लाभ का कोई पद रखता है। (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के अंतर्गत बैंक के कर्मचारी नामित प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर।

- ii) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-शासन) के निदेश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 और उसके पश्चात के संशोधन यदि कोई हो, के संदर्भ में उपयुक्त एवं उचित व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

5. कार्यकाल

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार, निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पुनः निर्वाचित होने का पात्र होगा।

बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक छह वर्ष से अधिक अवधि तक लगातार पद पर नहीं रहेगा।

6. निदेशकों का पद रिक्त होना, आदि।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 11 के अनुसार:

- i) यदि कोई निदेशक खंड 10 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो बोर्ड की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों से अधिक अनुपस्थित रहता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और उसके बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा।

7. निर्वाचित निदेशक को पद से निष्कासित करना

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 11ए के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक, ऐसे शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, जो ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी के कम से कम आधे हिस्से को धारण करते हैं, धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का चयन कर सकते हैं।

8. निर्वाचित निदेशक के पद पर रिक्ति को भरना

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 11बी के अनुसार:

- i) जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति से कोई रिक्ति होती है, वहां रिक्ति को चुनाव द्वारा भरा जाएगा।
बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छह महीने से कम होने की संभावना हो, वहां रिक्ति को शेष निदेशकों द्वारा भरा जा सकेगा।
- ii) उप-खण्ड (i) के अधीन, जैसा भी मामला हो, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा।

9. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 14ए के अनुसार विशेष प्रावधान

योजना के खंड 14ए के अनुसार, जहां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को विधि द्वारा कोई कार्य या कार्य करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति द्वारा किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों की अनुशंसा या निर्धारण या समाधान अपेक्षित होता है, और यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने के कारण पूरा नहीं हो सकता है, तो बोर्ड वह कार्रवाई या कार्य कर सकता है।

10. मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-शासन) निदेश, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-गवर्नेंस) निर्देश, 2025' जारी किए हैं। इनमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले विशिष्ट उपयुक्त और उचित मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

'उपयुक्त और उचित' स्थिति आदि तय करने के लिए प्राधिकरण, तरीके/प्रक्रिया और मानदंड निम्नानुसार हैं (आरबीआई के निर्देशों के पैरा 23 से 28):

- I. **प्राधिकरण:** बैंक के लिए यह अपेक्षित है कि वह केवल गैर-कार्यपालक निदेशकों को समाहित कर एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करे [इसके पश्चात 'समिति' के रूप में संदर्भित]। भारत सरकार के नामित निदेशक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक इस समिति का हिस्सा नहीं होंगे। समिति की बैठक के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा, जिसमें से बैठक में उपस्थित सदस्यों में कम-से-कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे तथा उनमें बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का कम-से-कम एक सदस्य शामिल होना चाहिए। इस समिति का गठन अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए उचित सावधानी की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, समिति की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी और बोर्ड के अध्यक्ष समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे।
- II. **विधि एवं प्रक्रिया:** बैंक निर्वाचन हेतु अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचना तथा घोषणा एवं वचनबद्धता प्राप्त करेगा। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति नामांकन स्वीकार करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के पश्चात् बैठक करेगी और हस्ताक्षरित घोषणाओं में प्रदान की गई सूचना की जांच करेगी। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना होगा कि बिंदु (iii) में उल्लिखित 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंडों के आधार पर संबंधित व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जानी चाहिए अथवा नहीं। एनआरसी की बैठक में हुई चर्चाओं को बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में विधिवत दर्ज किया जाएगा और यदि मतदान किया जाता है, तो उसका विवरण भी कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा। एनआरसी, जहां आवश्यक समझे, वहां उपयुक्त प्राधिकरण अथवा संबंधित व्यक्तियों से भी संदर्भ प्राप्त करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभ्यर्थी निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- III. **मानदंड:** नामांकन और पारिश्रमिक समिति यहाँ नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंड के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उपयुक्त तथा उचित' स्थिति का निर्धारण करेगी:

(क) आयु - उम्मीदवार की आयु मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को 35 से 67 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

(ख) शैक्षिक योग्यता- उम्मीदवार कम से कम स्नातक होना चाहिए।

(ग) अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र- उम्मीदवार को निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, अर्थात्:

- i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
- ii. बैंकिंग
- iii. कॉ-ऑपरेशन ,

- iv. अर्थशास्त्र
- v. वित्त,
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग,
- viii. सूचना प्रौद्योगिकी,
- ix. भुगतान और निपटान प्रणाली,
- x. मानव संसाधन,
- xi. जोखिम प्रबंधन,
- xii. व्यवसाय प्रबंधन, और
- xiii. कोई अन्य मामला, जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(घ) **अयोग्यता:** राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970/80 के अधीन खंड 10 द्वारा विहित "निदेशकों की अयोग्यताएं" के अतिरिक्त, कोई प्रत्याशी निम्नलिखित नहीं होगा:-

- i. किसी भी बैंक या आरबीआई या वित्तीय संस्थान (एफआई) या एक बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक (जिसमें एक बैंकिंग कंपनी, एक संबंधित नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक सहकारी बैंक और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है) के बोर्ड का सदस्य हो;
- ii. ऐसे व्यक्ति जो किराया-क्रय, वित्तपोषण, धन उधार देने, निवेश, पट्टे तथा अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से संबद्ध ना हो । तथापि, ऐसी संस्थाओं में निवेश करने वाले व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माने जाएंगे, बशर्ते कि उनका ऐसी संस्थाओं पर कोई प्रबंधकीय नियंत्रण न हो;
- iii. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूर्व में किसी बैंक (जिस बैंक में उन्होंने पूर्व में निदेशक के रूप में कार्य किया हो, उस बैंक सहित), वित्तीय संस्था, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा बीमा कंपनी के बोर्ड में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत छह वर्ष, चाहे निरंतर अथवा अंतरायिक रूप में कार्य कर चुके हों।;
- iv. स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न रहें हों;
- v. संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों के सदस्य का पद धारण करते हों (अन्य स्थानीय निकायों से आश्रय अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि से है);
- vi. ऐसे सनदी लेखाकर फर्म के भागीदार/सहभागी नहीं हों, जो वर्तमान में किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सांविधिक क्षेत्र के बैंक के वैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत हो;

- vii. ऐसे सनदी लेखाकर फर्म के भागीदार हों, जो उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के, जिसमें निदेशक के निर्वाचन हेतु नामांकन प्रस्तुत किया गया है, सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक अथवा समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्यरत हो।

(ड) **कार्यकाल** - निर्वाचित निदेशक *तीन वर्षों* के लिए पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा: बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक लगातार या अनिरंतर रूप से *छः वर्षों* से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

(च) **व्यावसायिक प्रतिबंध - एक उम्मीदवार होगा**

- I. उम्मीदवार का संबंधित बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) होना चाहिए और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस बैंक के साथ व्यापारिक हित में टकराव हो सकते हैं।
- II. उम्मीदवार का किसी बैंक या किसी भी अन्य बैंक द्वारा धारण किए जाने वाले एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय बैंक के साथ इस तरह के संबंध रखने वाले उम्मीदवार को मद (ख) के अंतर्गत अपेक्षाएं पूरी करने वाला तभी माना जाएगा, जब उम्मीदवार उम्मीदवार नामांकन और पारिश्रमिक समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे कि निदेशक के रूप में चुने जाने पर बैंक के साथ इस तरह के संबंध को अलग कर दिया जाएगा तथा निर्वाचित होने पर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पूर्व ऐसे संबंध से स्वयं को अलग कर लेंगे।

(छ) **ट्रैक रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा:** उम्मीदवार किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं होना चाहिए तथा किसी भी ऋणदातासंस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति नए निदेशक (नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति) के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन की संवीक्षा करते समय ऊपर बताए गए मानदंडों को अपनाएगी।

IV. **बैंक निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करेंगे:**

(क) ऐसे व्यक्ति के निदेशक का पद ग्रहण करने से पहले, निर्धारित और संलग्न प्रारूप में निष्पादित अनुबंध का एक विलेख।

(ख) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार इस आशय का एक घोषणा पत्र कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले प्रदान की गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
बशर्ते कि, जहां पहले प्रदान की गई जानकारी में परिवर्तन हुआ है, बैंक ऐसे निदेशक से परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक नई घोषणा प्राप्त करेगा।

(ग) व्यावसायिक संस्थाओं में उनके हितों और निदेशकों का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण; तथा

(घ) यदि निर्वाचित निदेशक सनदी लेखाकार है (इसके पश्चात सनदी लेखाकार निदेशक' के रूप में संदर्भित), तो उनके या उनकी फर्म के ग्राहकों की सूची

V. बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे और इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि,

(क) यह कि कोई भी निर्वाचित निदेशक उन संस्थाओं से जुड़ी बैंक की ऋण या निवेश संबंधी निर्णयों से स्वयं को दूर रखेगा और उनमें भाग नहीं लेगा, जिनमें उसका कोई हित या रुचि शामिल हो।

(ख) सनदी लेखाकार निदेशक के लिए ऐसी सुरक्षा-व्यवस्था/निवारक प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे वे अपने अथवा अपनी फर्म के ग्राहकों से संबंधित बैंक के ऋण अथवा निवेश संबंधी निर्णयों में भाग न लें। सनदी लेखाकार निदेशक से अपेक्षित होगा कि वे संपूर्ण प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखें तथा इस आशय का वचनबद्धता-पत्र हस्ताक्षरित करें; तथा

(ग) यह कि बैंक के निर्वाचित निदेशक के रूप में पद छोड़ने के पश्चात दो वर्ष की अवधि तक ऐसे व्यक्ति को कोई भी पेशेवर काम आवंटित न किया जाए।

VI. जहां निर्वाचित निदेशक:

क) निम्नलिखित में विफल रहता है:

(i) प्रसंविदा विलेख या घोषणा पत्र जमा करने में असफल रहता है; या

(ii) उचित प्रकटीकरण करने में असफल रहता है; या

(iii) ऋण/निवेश निर्णयों में भाग लेने से बचने में असफल रहता है, जहां उनका हित शामिल हो; या

ख) अपूर्ण या गलत प्रकटीकरण करते हैं, या

ग) ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जिसके कारण उन्हें उपर्युक्त उल्लिखित मानदंड के अनुसार 'उपयुक्त और उचित' नहीं पाया जाता है।

ऐसे निदेशक के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3ए) की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाला माना जाएगा और वह इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।

11. पंजाब नेशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000

विनियम 10: संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति, मतदान, लाभांश की प्राप्ति, नोटिस की सेवा और शेयरों के अंतरण को छोड़कर बैंक से संबंधित अन्य सभी या किसी भी विषय के संबंध में उक्त शेयर का एकमात्र धारक माना जाएगा।

विनियम 63: आम बैठक में निर्वाचित होने वाले निदेशक

- I. अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत एक निदेशक का चुनाव शेयरधारकों द्वारा बैंक की आम बैठक में केंद्र सरकार को छोड़कर, रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा अपने बीच से ही किया जाएगा।
- II. जहां किसी साधारण बैठक में निदेशक का निर्वाचन किया जाना है, वहां उसकी सूचना बैठक बुलाने वाली नोटिस में शामिल की जाएगी। ऐसे प्रत्येक नोटिस में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्विरिटों का विवरण निर्दिष्ट किया जाएगा जिनके संबंध में निर्वाचन किया जाना है।

विनियम 64: शेयरधारकों की सूची

- I. इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियमन (i) के अंतर्गत एक निदेशक के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, रजिस्टर पर शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का निर्वाचन किया जाना है।
- II. सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और दर्शाने वाली संख्या तथा शेयर पंजीकरण की तिथि शामिल होंगी साथ ही, उस बैठक के लिए निर्धारित तिथि पर वे कितने वोटों के हकदार होंगे, इसका विवरण भी होगा जिस तिथि को चुनाव होना है और इस सूची की प्रतियां प्रधान कार्यालय में आवेदन करने पर, बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर, बैठक के लिए तय तिथि से कम से कम तीन सप्ताह पहले क्रय हेतु उपलब्ध होगी।

विनियम 65: निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

- I. निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि,
 - (क) वह एक शेयरधारक है जिसके पास बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर हैं;
 - (ख) वह नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को, अधिनियम या योजना के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य न हो;
 - (ग) उसने स्वयं द्वारा एकल या अन्य के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों के संबंध में सभी माँग-राशियों का भुगतान, माँग-राशि के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले कर दिया हो;

(घ) नामांकन लिखित रूप में हो तथा अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों का निर्वाचन करने के पात्र कम-से-कम एक सौ शेयरधारकों द्वारा अथवा उनके विधिवत नियुक्त मुख्तार/अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते कि जहां नामांकन किसी कंपनी के शेयरधारक द्वारा किया जाना है, वहां ऐसा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से किया जा सकता है और जहां इस प्रकार नामांकन किया गया हो, वहां जिस सभा में उक्त संकल्प पारित किया गया था, उस सभा के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित संकल्प की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उक्त कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

(ङ) नामांकन के साथ या उसमें अभ्यर्थी द्वारा किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार आश्वासन अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित घोषणा संलग्न हो अथवा उसमें शामिल हो, जिसमें वह यह घोषित करे कि—वह नामांकन स्वीकार करता है और निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने के लिए इच्छुक है; तथा वह अधिनियम, योजना अथवा इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं है।

- II. किसी भी नामांकन को तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि उससे संबंधित सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से संलग्न न हों और वह बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम-से-कम चौदह दिन पूर्व किसी कार्य दिवस को प्राप्त न हो जाए।

विनियम 66: नामांकन पत्रों की संवीक्षा

- I. नामांकनों की संवीक्षा, नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित तिथि के अगले कार्य दिवस को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारण दर्ज करने के पश्चात् उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली किसी विशेष रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन प्राप्त होता है, तो इस प्रकार नामित अभ्यर्थी को तत्काल निर्वाचित माना जाएगा तथा निर्वाचित अभ्यर्थी के रूप में उसका नाम और पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, इस प्रयोजन से बुलाई गई सभा में कोई निर्वाचन नहीं होगा और यदि सभा केवल उपर्युक्त निर्वाचन के प्रयोजन से बुलाई गई थी, तो वह निरस्त मानी जाएगी।
- II. निर्वाचन होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकनों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है, तो बहुमत मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा।
- III. किसी विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित निदेशक ने जिस तिथि को निर्वाचन किया है या उसे निर्वाचित माना गया है, उसके अगले दिन से पदभार ग्रहण किया हुआ माना जाएगा।

विनियम 67: निर्वाचन संबंधी विवाद

- I. यदि निर्वाचित या निर्वाचित घोषित किए गए किसी व्यक्ति की अर्हता अथवा अनर्हता के संबंध में अथवा किसी निदेशक के निर्वाचन की वैधता के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है, तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जो अभ्यर्थी अथवा ऐसे निर्वाचन में मतदान करने का हकदार शेयरधारक हो, ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि से सात दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध

निदेशक को इसकी लिखित सूचना दे सकता है। उक्त सूचना में वह उन आधारों का पूर्ण विवरण देगा, जिनके आधार पर वह निर्वाचन की वैधता के संबंध में संदेह या विवाद करता है।

- II. उप-विनियम (i) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक, ऐसे संदेह या विवाद को निर्णय के लिए एक समिति के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करेंगे। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक तथा अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) एवं (ग) के अंतर्गत नामित कोई दो निदेशक शामिल होंगे।
- III. उप-विनियम (ii) में उल्लिखित समिति आवश्यक समझे जाने वाली ऐसी जांच करेगी और यदि वह यह पाती है कि निर्वाचन वैध रूप से कराया गया था, तो वह निर्वाचन के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी। अथवा, यदि वह यह पाती है कि निर्वाचन वैध नहीं था, तो वह जांच प्रारंभ होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर ऐसी व्यवस्था करेगी और ऐसे निर्देश देगी, जिनमें नए सिरे से निर्वाचन कराया जाना भी शामिल हो सकता है, जो परिस्थितियों के अनुसार समिति को न्यायसंगत प्रतीत हों।
- IV. इस विनियम के अनुसरण में समिति द्वारा पारित आदेश एवं दिए गए निर्देश अंतिम और निर्णायक होंगे।

विनियम 68: मतदान के अधिकारों का निर्धारण

- I. अधिनियम की धारा 3 (2 ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जिसे एक आम बैठक की तिथि से पूर्व रजिस्टर के बंद होने की तिथि को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, उसे ऐसी बैठक में हाथ उठाकर मतदान करने पर एक वोट का अधिकार होगा और मत-संग्रह की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा।
- II. अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अधीन, उपर्युक्त अनुसार मतदान करने का हकदार प्रत्येक शेयरधारक जो (एक कंपनी न होने की स्थिति में) व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित है, अथवा जो (एक कंपनी होने की स्थिति में) विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित है, उसे हाथ उठाकर मतदान करने पर एक वोट का अधिकार होगा और मत-संग्रह की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा, जैसा कि ऊपर उप-विनियम (i) में बताया गया है।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के लिए, "कंपनी" से अभिप्राय किसी भी निगमित निकाय से है।

- III. बैंक के शेयरधारक, जो एक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र हैं, स्वयं के स्थान पर आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयरधारक हो या न हो) को अपना प्रॉक्सी नियुक्त करने के पात्र होंगे; इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विनियम 69: विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

- I. केंद्र सरकार या कोई कंपनी होने की स्थिति में, कोई शेयरधारक यथास्थिति एक प्रस्ताव द्वारा अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी भी आम बैठक में अपना प्रतिनिधि बनने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में संदर्भित) उस केंद्र सरकार अथवा कंपनी की ओर से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, वही शक्तियां प्रयोग करने का हकदार होगा, मानो वह बैंक का एक व्यक्तिगत शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकरण वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में दिया जा सकता है और ऐसी स्थिति में उन दोनों में से कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार/कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- II. कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक के शेयरधारकों की किसी सभा में तब तक भाग नहीं लेगा और मतदान नहीं करेगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया था उस सभा के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित, बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम-से-कम चार दिन पूर्व जमा न कर दी गई हो।

12. शेयरधारकों की सूची

यथा-संशोधित पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 64 में किए गए प्रावधान के अनुसार, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, **मंगलवार, 01 सितंबर, 2026** से शेयर धारकों द्वारा रु 5/- प्रति 1000 शब्द और उसके भाग और रु 50,000/ में (पूर्ण शेयरधारकों की सूची सहित) पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होगी। उक्त सूची को खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों को एक वचनपत्र देना होगा कि इस सूची का उपयोग केवल चुनाव में प्रचार के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिल्कुल नहीं किया जाएगा।

13. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

यथा-संशोधित पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 11 में किए गए प्रावधान के अनुसार, शेयरधारकों का रजिस्टर प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में सभी कार्य दिवसों (दूसरे और चौथे शनिवार, रविवार और बैंक अवकाशों को छोड़कर) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार और पहले तथा तीसरे शनिवार को प्रातः 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच निरीक्षण के लिए खुला रहेगा, ताकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भी हिस्से का उद्धरण/नोट्स ले सकें। अगर किसी भी शेयरधारक को चयनित/ आंशिक जानकारी की एक प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होगी तो उसे रु.5 प्रति 1,000 शब्द की दर से या उसके भाग पर, जो संपूर्ण शेयरधारकों की सूची सहित, अधिकतम रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) के अधीन, के भुगतान पर उसे प्रदान की जाएगी।

14. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

एक निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का कोई भी नामांकन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि:

- I. पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियमन 65 के निबंधनों के अनुसार, वह एक शेयरधारक है जिसके पास **शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026** को की चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट तिथि/ कट-ऑफ तिथि निर्दिष्ट की जा रही है को बैंक के **100 (एक सौ) शेयर** से कम नहीं है, तो बैठक की तिथि तक और उसके बाद यदि वह निर्वाचित होता/होती है तो उसके कार्यकाल के अंत तक, न्यूनतम 100 शेयरों को रखना जारी नहीं रखता/रखती है।
- II. **गुरुवार, 10 सितंबर, 2026** को, नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होने के नाते, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है और इसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- शासन) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा "उपयुक्त और उचित" पाया गया है, और निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 या समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले अन्य ऐसे निर्देशों के तहत स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जा सकती है।"
- III. वैध नामांकन लिखित रूप में हो और अधिनियम के तहत निदेशकों का चुनाव करने के पात्र कम से कम **100 (एक सौ) शेयरधारकों** द्वारा या उनके विधिवत गठित मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित हो। बशर्ते कि किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जो स्वयं एक शेयरधारक है, नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के एक संकल्प द्वारा किया जा सकता है। जहाँ नामांकन इस प्रकार किया गया हो, वहाँ उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित प्रस्ताव की एक प्रति, जिसमें इसे पारित किया गया था, गुरुवार, 10 सितंबर, 2026 को शाम 05.00 बजे या उससे पहले बैंक को जमा की जाएगी। यह प्रति शेयर विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 के पते पर प्रेषित की जानी चाहिए और ऐसी प्रति को उक्त कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।
- IV. इस सूचना में दिए गए घोषणा पत्र के नमूना प्रारूप के अनुसार उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा देते हुए कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा वह चुनाव में खड़ा होने का इच्छुक है एवं वह निदेशक होने के लिए अधिनियम या योजना या विनियमों के तहत योग्य नहीं है तथा उसके द्वारा धारित शेयरों का एरियर वापस नहीं माँगा गया है, वैध नामांकन दिए जाएं। यह पुष्टि करते हुए कि ये विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं, उम्मीदवार के विधिवत हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरणों (बायोडाटा) तथा उन घटनाओं के संबंध में, जो प्रदान की गई जानकारी से संबंधित घोषणा पत्र देने के पश्चात् घटित होती हैं, यथाशीघ्र बैंक को पूरी जानकारी प्रदान करने का वचन देने के साथ इसे दिया जाएगा।

- V. नामांकन प्रपत्र और घोषणा पत्र का प्रोफार्मा इस सूचना में संलग्न किया गया है (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.pnb.bank.in) पर भी उपलब्ध है।

15. नामांकन फॉर्म जमा करना

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बैंक निदेशक के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक नोटिस में दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में, जिस पर **पंजाब नैशनल बैंक - शेयरधारक निदेशक का चुनाव - 2026** उल्लिखित हो, व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक/ कूरियर के द्वारा निम्न पते पर प्रेषित किए जाएं:

*“कंपनी सचिव
शेयर विभाग,
पंजाब नैशनल बैंक,
प्रधान कार्यालय, प्लॉट नं.4, सेक्टर 10,
द्वारका, नई दिल्ली - 110075”*

ताकि गुरुवार 10 सितंबर, 2026 को सायं 05.00 बजे तक या उससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त हो जाए।

- विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र;
- चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से वैध नामांकन;
- संबंधित दस्तावेजों, प्रशंसापत्र के साथ नोटिस में संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा और वचनपत्र जैसेकि बायोडाटा की स्वप्रमाणित प्रतियां, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुभव आदि।

वर्णित नामांकन प्रपत्र और अन्य दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण होने चाहिए, ऐसा न होने की स्थिति में नामांकन खारिज होने के लिए उत्तरदायी हैं।

कृपया ध्यान दें कि नामांकन फॉर्म स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कूरियर के माध्यम से उपर्युक्त पते के अतिरिक्त किसी अन्य पते पर या शेयर विभाग के किसी अधिकारी से पावती प्राप्त किए बिना हाथ से प्रदान किए जाते हैं तो बैंक नामांकन फॉर्म प्राप्त न होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

16. नामांकन की जांच और निदेशक का चुनाव

- नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत तिथि के बाद पहला कार्यदिवस **शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026** को जोकि नामांकन प्राप्त होने की नियत तिथि का निम्नलिखित पहला कार्यदिवस है। बैंक द्वारा नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारणों को दर्ज करने के बाद अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- वैध नामांकनों की जाँच भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, यथास्थिति, बोर्ड की नामांकन समिति या निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी।

- iii. बैंक नामांकनों की जाँच के समय या समिति/बोर्ड की सलाह के अनुसार, उम्मीदवारों से आगे की जानकारी या दस्तावेज़ मांग सकता है।
- iv. समिति/बोर्ड द्वारा नामांकनों की जाँच और उपयुक्त एवं उचित स्थिति के निर्धारण के बाद, यदि रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन है, तो नामित उम्मीदवार को तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा तथा बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करने के पश्चात समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। नवनिर्वाचित निदेशक दिनांक 06, अक्टूबर 2026 से पदभार ग्रहण करेंगे। ऐसी स्थिति में जब ईजीएम केवल एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के उद्देश्य से बुलाई गई हो, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और कार्यसूची में कोई अन्य कार्य शामिल नहीं है।
- v. यदि एक से अधिक वैध नामांकन हों तो उम्मीदवारों के नाम स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए जाएंगे तथा बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, तत्पश्चात समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे तथा ईजीएम चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में बहुमत के वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा और उसके नाम की घोषणा की जाएगी। नवनिर्वाचित निदेशक दिनांक 06, अक्टूबर 2026 से पदभार ग्रहण करेंगे

17. नामांकन वापस लेना

यदि एक से अधिक वैध उम्मीदवार हैं और कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन कॉपी सोमवार, 21 सितंबर, 2026 सायं 5.00 बजे या उससे पूर्व कंपनी सचिव, पंजाब नेशनल बैंक, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली को संबोधित hosd@pnb.bank.in पर ई-मेल कर ऐसा करने के पात्र होंगे।

18. विवाद

यदि कोई विवाद है, तो वह पंजाब नेशनल बैंक (शेयरों और बैठकों) विनियम, 2000 के विनियमन 67 के अनुसार निपटाया जाएगा।

19. निदेशक का निष्कासन

शेयरधारकों का ध्यान बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत चुने गए एक निदेशक के निष्कासन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार पर कथित अधिनियम की धारा 9(3बी) के लिए आमंत्रित किया जाता है, जोकि वर्णित अधिनियम की धारा 9 (3ए) की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करते हैं।

20. निदेशकों की रुचि

यदि बैंक के निदेशक चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें कार्य की उपरोक्त मद में अभिरुचि या रुचि रखने वाला माना जा सकता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पंजाब नेशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.09.2026

हस्ता/-
(बिक्रमजित सोम)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: F6517

क्र. सं.	
----------	--

नामांकन फॉर्म

(पीएनबी विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ लें)

सेवा में,

**पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली**

प्रिय महोदय,

निदेशक का चुनाव

ईजीएम नोटिस दिनांक 01.09.2026 के संदर्भ में, मैं, पंजाब नैशनल बैंक का एक शेयरधारक जिसके पास शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026 अर्थात चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि को रु.2 प्रत्येक (पूर्णतया प्रदत्त) के इक्विटी शेयर हैं एतद्वारा श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी

श्री.....

निवासी.....

..... को शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को होने वाली शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) में यथा प्रदत्त बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक के चुनाव लड़ने के लिए एतद्वारा नामित करता/करती हूँ।

नाम:

हस्ताक्षर:

धारित शेयरों की संख्या:

पंजीकृत फोलियो संख्या:

(यदि अभौतिकीकृत नहीं है)

डीपी आईडी नंबर और क्लाइंट आईडी नंबर:

(यदि अभौतिकीकृत हो)

स्थान:

दिनांक :

टिप्पणियाँ:

- 1) यदि नामांकन एक कॉरपोरेट निकाय द्वारा किया जाता है, तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अंतर्गत पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति होनी चाहिए, जिसमें यह पारित किया गया था।
- 2) उम्मीदवारी को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए।
- 3) यदि उपर्युक्त के किसी भी कॉलम को खाली छोड़ दिया जाता है या विवरण त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

उम्मीदवार द्वारा घोषणा
(पीएनबी विनियम के विनियम 65 का सन्दर्भ लें)

मैं,..... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री/
श्रीमती.....निवासी.....
.....एतद्वारा पुष्टि
करता/करती हूँ:

क. मैं एक शेयरधारक हूँ जिसके पास 28 अगस्त, 2026 अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट/ कट-ऑफ तिथि को बैंक के रु.2/- प्रत्येक के..... इक्विटी शेयर हैं, और यदि बैंक के निदेशक के रूप में चयन होता है, तो कार्यकाल के अंत तक इन शेयरों को धारण करने का वचन देता हूँ;

ख. मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, (viii) सूचना प्रौद्योगिकी (ix) भुगतान और निपटान प्रणाली (x) मानव संसाधन (xi) जोखिम प्रबंधन (xii) व्यवसाय प्रबंधन तथा (xiii) किसी अन्य मामलों से संबंधित या क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, जो आरबीआई की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा, और मैं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3A के संदर्भ में जमाकर्ताओं किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ सुसंगत विवरण, प्रस्तुत करता हूँ,

**जो भी लागू नहीं हो उसे डिलीट करें*

ग. मैं नामांकन संख्या.....से..... स्वीकार करता हूँ।

घ. मैं पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ;

ङ. मैं बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देशों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ।

च. मैं न तो कोई लाभ का पद धारण करता हूँ और न ही मैं किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 का/की कर्मचारी हूँ।

छ. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत अयोग्य नहीं हूँ;

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि:

ज. मुझे किसी भी समय दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या मेरा भुगतान नहीं रोका गया है या मेरी लेनदारों से मिलीभगत नहीं रही है।

झ. मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं पाया गया है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है।

ञ. मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है।

- ट. मुझे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता या अन्यथा शामिल हो;
- ठ. मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है;
- ड. निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान तथा इसके पश्चात् दो वर्षों की अवधि के लिए बैंक के साथ मेरा कोई पेशेवर संबंध नहीं होगा;
- ढ. मैं किसी बैंक या रिजर्व बैंक या किसी वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक में एनओएफएचसी धारक बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ;
- ण. मैं किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार देने, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से सम्बद्ध हुआ नहीं हूँ;
- त. मैंने किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार या अनिरंतर रूप से छः वर्षों के लिए निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया है;
- थ. मैं स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में लिप्त नहीं हूँ ;
- द. मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) के सदस्य के पद पर नहीं हूँ ;
- ध. मैं किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ, जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हैं ;
- न. मैं ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में ऐसे बैंक के सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक या समवर्ती लेखा-परीक्षक के रूप में संलग्न है, जिसमें चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया गया है ;
- न. मेरा पंजाब नैशनल बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूँ जिसके परिणामस्वरूप पंजाब नैशनल बैंक के साथ व्यापारिक हित हो सकते हैं;
- प. मेरा किसी बैंक या किसी भी अन्य बैंक द्वारा धारण किए जाने वाले एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है, यदि कोई संबंध होता है तो निर्वाचित होने पर निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व संबंध समाप्त कर लूंगा;
- फ. मैं वचन देता हूँ कि किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ तथा मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूँ ;
- ब. मैं निदेशक का पद ग्रहण करने से पूर्व (दिनांक 28.11.2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में) में प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ;
- भ. मैं उन घटनाओं के संबंध में यथाशीघ्र बैंक को पूरी जानकारी प्रदान करने का वचन देता हूँ जो प्रदान की गई जानकारी से संबंधित घोषणा पत्र देने के पश्चात् होती हैं तथा मैं प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ ;
- म. मैं यदि निर्वाचित होता हूँ, तो जब तक बैंक के निदेशक के पद पर रहूंगा तब तक सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ;
- य. मैं अन्य कंपनियों/बैंकों/अन्य संस्थाओं में अपने वर्तमान और पिछले निदेशक पद का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ; और

कंपनी, बैंक, अन्य संस्थाओं के नाम	निदेशक विवरण यथा कार्यकाल, निर्देशन का स्वरूप, अवधि आदि।

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियाँ/शीट जोड़ें)

र. मैं अपने व्यक्तिगत विवरणों को संलग्न करता हूँ जो मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और पूर्ण हैं;

नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिकीकृत नहीं है)	
डीपी आईडी नंबर और क्लाइंट आईडी नंबर (यदि अभौतिकीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे।

न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी की मुहर सहित हस्ताक्षर।

बैंक का नाम: पंजाब नेशनल बैंक
प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा और वचनबंध
(उपयुक्त संलग्नकों सहित)

पासपोर्ट आकार का
फोटो यहां चिपकाएं

दिनांक/...../.....				
क्र.सं.	विवरण	प्रकट की गई जानकारी		
1.	व्यक्तिगत विवरण			
1.	पूरा नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	उपनाम
2.	पिता का नाम			
3.	लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)	एससी/एसटी/ओबीसी		
4.	वर्तमान पता			
5.	स्थायी पता			
6.	ई-मेल पता एवं वैकल्पिक ई-मेल पता: एसटीडी कोड सहित टेलीफोन नंबर: मोबाइल नंबर:			
7.	राष्ट्रीयता			
8.	जन्म तिथि (दिन /माह/ वर्ष) और आयु	- - / - - / - - - - आयु: - - वर्ष - - माह - - - दिन		
9.	शैक्षिक योग्यता			
10.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)			
11.	आधार संख्या (वैकल्पिक)			

12.	(ए) स्थायी खाता संख्या (पैन) (बी) प्रभार जहां प्रस्तावित निदेशक का कर मूल्यांकन किया जाता है (आयकर क्षेत्राधिकार) / आयकर सर्कल / वार्ड का नाम और पता (सी) पिछले 3 वर्षों के रिटर्न फ़ाइल करने और करों के भुगतान का विवरण	<table><tr><th>फ़ाइल करने की तिथि</th><th>भुगतान किए गए कर की राशि (INR)</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	फ़ाइल करने की तिथि	भुगतान किए गए कर की राशि (INR)						
फ़ाइल करने की तिथि	भुगतान किए गए कर की राशि (INR)									
13.	लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, या एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में विवरण सूचना प्रौद्योगिकी/ भुगतान एवं निपटान प्रणाली/ मानव संसाधन/ जोखिम प्रबंधन/ व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित मामले या किसी अन्य मामले के संबंध में <i>प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव</i> पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में विवरण, जिनका भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव बैंक के लिए उपयोगी होंगे।									
14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव पर संक्षिप्त आलेख)									
15.	न्यूनतम दस वर्षों को कवर करने वाला पिछला व्यवसाय, जिसमें कार्य किये गए संगठनों का पूरा पता, नियुक्ति की तिथि, कार्यमुक्ति की तिथि (कारणों सहित), पदनाम, आदि शामिल हों।									
16.	सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित को इंगित करें: (क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) की सदस्यता संख्या: (ख) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) में पंजीकरण की तिथि: (ग) पंजीकृत फर्म/ फर्मों का नाम और पता:									

	(घ) वर्तमान में फर्म (फर्मों) या आपके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा (ओं) का विवरण:								
17.	शाखा और खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाता) के साथ उस बैंकर का नाम, जहां आप प्राथमिक खाताधारक हैं:	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या				
18.	आपके द्वारा, जीवनसाथी द्वारा और आपके अवयस्क बच्चे द्वारा यदि भौतिक या अमूर्त रूप में किसी भी प्रकार से रखी गई शेयरहोलिंग का विवरण। (डीमैट / शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)								
19.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी								
II	प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध								
1.	बैंक से संबद्ध रिश्तेदारों की सूची, (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) तथा कंपनी नियम 4 (परिभाषाओं के विनिर्दिष्ट विवरण) नियम, 2014) यदि कोई हो, जो किसी बैंक से जुड़े हैं :								
2.	संस्थाओं की सूची, जिसमें : क) आप रुचि रखते हैं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें) बैंकों / एनबीएफसी / कंपनियों / निगमित निकायों / फर्मों / व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए। ख) उन संस्थाओं की सूची, जिनमें आप लाभकारी स्वामित्व रखते हैं [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और साथ ही लागू एमसीए के महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों का संदर्भ लें] ग) ट्रस्टों की सूची जिसमें आपके पास ट्रस्टी का पद है (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):								
3.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें आप बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) "पर्याप्त हित"	<table border="1"> <tr> <td>कंपनी/फर्म का नाम</td> <td></td> </tr> <tr> <td>इसके निगमन का देश</td> <td></td> </tr> </table>				कंपनी/फर्म का नाम		इसके निगमन का देश	
कंपनी/फर्म का नाम									
इसके निगमन का देश									

	के अनुसार पर्याप्त हित रखते हैं। (i) किसी कंपनी के संबंध में, किसी व्यक्ति या उसके पति/पत्नी अथवा अवयस्क संतान द्वारा, एकल या संयुक्त रूप से, उस कंपनी के शेयरों में लाभकारी हित धारण करना, जिसके लिए प्रदत्त राशि दो करोड़ रुपये से अधिक हो या केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली ऐसी अन्य राशि से अधिक हो, अथवा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक हो—इनमें से जो भी कम हो; (ii) एक फर्म के संबंध में, तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या अवयस्क बच्चे द्वारा चाहे अकेले या सामूहिक रूप से कोई लाभकारी हित रखना, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा निर्धारित कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है,	शेयर की संख्या	
		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	
		धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य	
		कुल चुकता पूंजी के % के रूप में शेयरधारिता	
		लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % के संदर्भ में)	
		क्या इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी है	
4.	विदेशों में निगमित और भारत में कारोबार करने वाली संस्थाओं में धारिताओं का विवरण।		
5.	बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या अतीत में आप बोर्ड/सलाहकार आदि के सदस्य रहे हैं (उस अवधि का विवरण दें जिसके दौरान ऐसा पदभार रहा हो/रहा था)		
6.	यदि किसी ऐसी संस्था, से जुड़ें हों जो खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां करती हों (संगठन के स्वरूप का उल्लेख किया जाना चाहिए), तो उसका विवरण दें।		
7.	यदि किसी स्टॉक ब्रोकर या किसी ऐसी संस्था से संबद्ध हों जो शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों, में संलिप्त हों, उनका विवरण दें।		
8.	निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, जिनका आपने व्यक्तिगत रूप से तथा/ या उक्त मद सं० ॥ (2) से (7) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उपभोग किया गया हो।		

9.	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां एक व्यक्तिगत रूप से, आप, या ऊपर बिंदु ॥ (2) से (7) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में अतीत में चूक की है या इरादतन चूककर्ता घोषित किया है।	
III	व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकार्ड	
1.	निदेशक पद के लिए सुसंगत पेशेवर उपलब्धियाँ।	
IV	प्रस्तावित निदेशक पर कार्यवाही, यदि कोई हो	
1.	क) एक पेशेवर संघ/निकाय के सदस्य के रूप में, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू की गई या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में दोषसिद्धि हुई हो या क्या किसी भी समय किसी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, तो उसका विवरण।	
	ख) यदि व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत या आरोप है, तो उसका विवरण।	
2.	अभियोजन के विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू किया गया या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में स्वयं को/ और या आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए उपरोक्त बिंदु ॥ (2) से (7) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के विरुद्ध दोषी ठहराया गया हो।	
3.	आपराधिक अभियोजन के विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप दोषी ठहराए गए।	
4.	यदि एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन में लिप्त है, तो उसका विवरण।	
5.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी	

	अयोग्यता को आकर्षित किया जाता है, तो उसका विवरण।	
6.	यदि दिवालिया घोषित कर दिया गया है या भुगतान निलंबित किया गया है या लेनदारों के साथ समझौता किया गया है, तो उसका विवरण।	
7.	यदि कोई विकृत मस्तिष्क का पाया जाता है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण	
8.	(क) यदि आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक क्रूरता या अन्यथा शामिल है, तो उसका विवरण. (ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उसका विवरण.	
9.	एक पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करने के अतिरिक्त यदि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के तहत कोई भी लाभ का पद धारण करते हैं, तो उसका विवरण।	
10.	यदि किसी व्यक्ति या ऊपर बिंदु सं० ॥ (2) से (7) में किसी भी संस्था के रूप में, पूर्व नियोक्ता या सरकारी विभागों या एजेंसी से किसी भी जांच / सतर्कता/मामलों की जांच के अधीन हैं, तो उसका विवरण।	
11.	यदि सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकरण की अपेक्षानुरूप नियमों/विनियमों/संवैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण	
12.	यदि किसी भी विनियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी, या न्यायालय द्वारा किसी पेशेवर आचरण या गतिविधियों के कारण निंदा की गई, फटकार लगाई गई, प्रतिबंधित, निलंबित, बाधित, रोक लगाई गई हो, या अन्यथा मंजूरी दी गई हो, तो उसका विवरण।	

	(यद्यपि उम्मीदवार के लिए ऐसे आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जो बाद में पूर्ण रूप से बदल दिए गए हों/ पूर्णतया रद्द कर दिए गए हों, परन्तु इन्हें ऐसी स्थिति में वर्णित करना आवश्यक होगा जहाँ तकनीकी कारणों जैसे अधिकार क्षेत्र की कमी या सीमित होने के कारण बदला/ रद्द किया गया हो न कि योग्यता के आधार पर। यदि कोई आदेश अस्थायी रूप से रोका गया है तथा अपीलीय न्यायालय की कार्रवाई लंबित है, तो उसका भी वर्णन किया जाना चाहिए)।	
V	सामान्य जानकारी	
1.	यदि सनदी लेखाकार, वकील आदि जैसे पेशेवर और किसी भी बैंक में वर्तमान में कोई पेशेवर कार्य कर रहे / करते हैं, तो बैंक के नाम और बैंक के साथ संबंध की अवधि सहित विवरण प्रदान करें।	
2.	यदि कोई सांसद / एमएलए / एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारक है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
VI	प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, यदि कोई अन्य सूचना, जो 'उचित और उपयुक्त' का मूल्यांकन करने के लिए सुसंगत हो तो उसका विवरण प्रदान करें।	

वचनबंध पत्र

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य एवं पूर्ण है। मैं बैंक को उन घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी यथाशीघ्र प्रदान करने का वचन देता हूँ जो मेरी नियुक्ति के पश्चात् घटित होती हैं जो उपरोक्त प्रदान की गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं।

मैं बैंक के साथ निष्पादित किये जाने वाले प्रसंविदा विलेख के निष्पादन का भी वचन देता हूँ।

स्थान:

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

संलग्नक:

.....

.....

टिप्पणी:

जहां भी स्थान पर्याप्त नहीं है, कृपया कालानुक्रमिक क्रम में और उपयुक्त प्रति संदर्भ सहित अनुलग्नक के रूप में जानकारी संलग्न करें।

प्रत्येक पृष्ठ (अनुलग्नकों सहित) उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

स्थान :		
दिनांक:		
नामांकन और पारिश्रमिक समिति /निदेशक मंडल की टिप्पणियाँ, जो इस बात से संतुष्ट हैं कि उपर्युक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है।		
स्थान :		एनआरसी / बोर्ड के अध्यक्ष का नाम और हस्ताक्षर
दिनांक :		

CONTENTS

Notice	48-48
Notes	49-60
Explanatory Statement	61-76
Nomination Form	77-78
Declaration and Undertaking	79-89

Important Dates

Date of Extraordinary General Meeting	Friday, 25th September, 2026
Specified Date/Cut-off date for the purpose of determining the shareholders eligible for nominating, contesting the election and voting in the Election	Friday, 28th August, 2026
Last date for submission of Nomination Forms	Thursday, 10th September, 2026 till 05.00 p.m.
Scrutiny of Nominations (next working day)	Friday, 11th September, 2026
Last date for Withdrawal of Nominations (in case more than One Valid Nomination)	Monday, 21st September, 2026 till 05.00 p.m.
Period of Remote E-Voting	From 09.00 a.m. of Tuesday, 22nd September, 2026 to 05.00 p.m. of Thursday, 24th September, 2026



Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075

(E-mail id: hosd@pnb.bank.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank (hereinafter referred to as the “Bank”) will be held on **Friday, 25th September, 2026 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

Item No.1: To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the “Act”) read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as “Banking Regulation Act”), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”), the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as “PNB Regulations”) pursuant to Section 19 of the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (“SEBI Listing Regulations”) and Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 (hereinafter referred to as “RBI Master Directions” and further amendments thereto, if any) and pass the following resolution:-

“RESOLVED THAT one applicant shareholder elected from amongst the Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, PNB Regulations, RBI Master Directions, be and is hereby **appointed** as the Director on the Board of the Bank to assume office with effect from 06th October, 2026 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.”

The aforesaid Resolution shall also be considered under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Place: New Delhi
Date: 01.09.2026

Sd/-
(Bikramjit Shom)
Company Secretary
Membership No. F6517

NOTES:

1. Extraordinary General Meeting through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)

The Ministry of Corporate Affairs (MCA), has vide Circular dated 22nd September, 2025 read with its preceding Circulars issued from time to time permitted the companies/ listed entities, to conduct their general meetings through VC or OAVM until further orders, in accordance with the framework provided in the MCA Circular(s).

In accordance with the aforesaid Guidelines and the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank is being conducted through VC/OAVM which does not require physical presence of the shareholders at a common venue. The shareholders attending the EGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank.

The facility for participation in the EGM through VC/OAVM, voting through remote e-voting and e-voting during the EGM, will be provided by **National Securities Depository Limited (NSDL)**.

Shareholders may join the EGM through VC/OAVM facility, by following the procedure as mentioned in this Notice, which shall be kept open for the shareholders on 25th September, 2026 from 10:30 a.m. i.e., 30 minutes before the time scheduled to start the EGM. The Bank/NSDL may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled start time.

Shareholders may please note that the VC/OAVM facility, provided by NSDL, allows participation of at least 1,000 shareholders on a 'first-come, first-serve' basis. The shareholders holding 2% or more of the share capital of the Bank, Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc. can attend the EGM without any restriction on account of 'first-come, first-serve' basis.

2. The relevant Explanatory Statement setting out material facts in respect of the agenda Item as set out in this Notice, is annexed hereto.

3. Appointment of Proxy:

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. **Pursuant to the aforesaid MCA & SEBI Circulars, as the physical attendance of the Shareholders has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment**

of proxies by shareholders will not be available for the EGM and therefore, the instrument for appointing proxy and attendance slip are not being annexed to the Notice.

4. Appointment of an Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend the EGM through VC / OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, is submitted to the Bank in hard copy addressed to 'Share Department, Punjab National Bank, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075' or through email at hosd@pnb.bank.in OR to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com and hosd@pnb.bank.in, not less than four days before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours, i.e., **5.00 p.m. of Saturday, 19th September, 2026.**

No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

5. Specified/Cut-Off Date:

The Specified/Cut-Off Date for the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e. to **Nominate, Contest, Attend the meeting and Vote** for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government, was **Friday, 28th August, 2026.**

6. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

7. Voting through Electronic Means

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, 2015 and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

II. E-voting during the EGM:

Those shareholders, who will be present in the EGM through VC/OAVM, and who have not cast their vote on the Election by remote e-voting, shall be eligible to cast their e-vote during the course of the EGM.

The shareholders who have cast their e-vote remotely prior to the EGM may attend the meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their e-vote again.

III. Instructions for remote e-voting:

- a. The remote e-voting period begins at 09.00 a.m. on Tuesday, 22nd September, 2026 and ends at 05.00 p.m. on Thursday, 24th September, 2026. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. Friday, 28th August, 2026, may cast their e-vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL.

The Shareholders may also cast their e-votes electronically during the EGM on Friday, 25th September, 2026 up to 30 minutes post conclusion of the same.

- b. The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:

The electronic voting on NSDL system consists of two steps:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining the virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9th December, 2020 on 'e-Voting facility provided by Listed Companies', individual shareholders holding securities in dematerialized form are allowed to vote through their demat account maintained with Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile numbers and email Ids in their demat accounts in order to access the e-Voting facility.

The login method for individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in	1. For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp . You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on

demat mode with NSDL.	registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank's name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 3. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 4. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen-digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 5. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.
------------------------------	--

	NSDL Mobile App is available on  App Store  Google Play  
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from an e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on Bank's name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above-mentioned websites.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-21-09911

B) Login Method for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

Steps to Log-in to NSDL e-Voting website

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID

	For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank. For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password', and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8-digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are **not registered**.

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

- a) Click on “[Forgot User Details/Password?](#)”(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) [Physical User Reset Password?](#)” (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to “Terms and Conditions” by selecting on the check box.
 8. Now, you will have to click on “Login” button.
 9. After you click on the “Login” button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join the EGM on NSDL e-Voting system

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies “EVEN” in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in ‘active’ status.
2. Select “EVEN” of Punjab National Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining the EGM virtually, you need to click on “VC/OAVM” link placed under “Join Meeting”.
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/ modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
5. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. ***Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.***

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution /Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution/Authority Letter, etc. by clicking on "Upload Board Resolution/Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly advised not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "[Forgot User Details/Password?](#)" or "[Physical User Reset Password?](#)" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

In case of any queries, shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022-48867000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400051 at the designated email address: evoting@nsdl.com or at telephone no. 022- 48867000.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolution set out in this Notice:

1. In case shares are held in physical mode, please provide folio no., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR card by email to the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) i.e. KFin Technologies Ltd. (KFintech) at einward.ris@kfintech.com.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID+CLID for NSDL or 16 digit Beneficiary ID for CDSL), name, client master or copy of consolidated account statement, self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR Card to the Bank's RTA at einward.ris@kfintech.com. If you are an Individual shareholder, holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **Step 1 (A)** i.e. "**Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode**".

3. Alternatively, shareholders may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing the abovementioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote using the login credentials of their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

Instructions for shareholders for E-Voting on the day of EGM are as under:

1. The procedure for e-voting on the day of the EGM is the same as explained in the above stated paragraphs on instructions for remote e-voting.
2. Only those shareholders, who are present at the EGM through VC/OAVM facility and who have not cast their e-vote on the Resolution remotely and are otherwise not barred from casting, shall be eligible to e-vote in identical manner as explained herein before, during the course of the meeting up to 30 mins post its conclusion.
3. Shareholders who have cast their e-votes remotely will be eligible to attend the EGM, but not eligible to e-vote again at the EGM.
4. The details of the persons who may be contacted for any grievances/assistance in connection with the e-voting on the day of the EGM are shared in point 2 of general guidelines at page 12 of this notice.

Instructions for shareholders for attending the EGM through VC/OAVM are as under:

1. Shareholders will be provided with a facility to attend the EGM via VC/OAVM platform of NSDL. Shareholders may **Access NSDL e-Voting system** following the steps mentioned in para 7 above. After successful login, shareholders are requested to click on the “**VC/OAVM link**” under “**Join Meeting**” menu against the name of the Bank (**Punjab National Bank**). The link for VC/OAVM will be available under ‘**Shareholder/Member login**’ where the **EVEN of the Bank** will be displayed. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-voting or have misplaced their User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in para 7(III) of Notes to this Notice to avoid last minute confusions.
2. **Submission of queries prior to the EGM**
Shareholders can submit questions on the business to be transacted at the EGM from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client

ID/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.bank.in in advance.

Shareholders who will participate in the EGM through VC/OAVM can also post question/feedback solely on the agenda item of the meeting in the question box option. Such questions by the Shareholders shall be taken up during the meeting or suitably replied to by the Bank, later.

8. Scrutinizer

M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process being conducted in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast for and against the resolution to the Chairman of the Meeting upon conclusion of the EGM and thereafter, the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges, NSDL and the Bank.

9. Other Information

- a) Pursuant to the MCA General Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025 read with its preceding Circulars, the Notice of the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only by electronic mail to all the shareholders whose email IDs are registered with the Bank's RTA/Depository Participant(s).
- b) Shareholders may also note that the Notice of EGM is also being made available on the Bank's website www.pnb.bank.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com. The same shall also be published in newspapers.
- c) In consonance with the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders holding shares in physical form are requested to get their email ids registered with the Bank's RTA in case of shares held in physical form and with their Depository Participants in case of shares held in electronic form.
- d) In case of changes, if any, pertaining to name, postal address, email address, telephone/mobile number, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the shareholders may get the same updated with the Bank's RTA/Depository Participants for the shares held in physical/dematerialized form respectively.
- e) Dematerialization of Physical Holdings: As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, all requests for transfer of securities including

transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. Accordingly, with a view to avail the benefits of dematerialization and to eliminate all risks associated with physical shares, Shareholders are requested to dematerialise their shares held in physical form. Shareholders can contact the Share Department of the Bank or Bank's RTA for assistance in this regard.

- f) The process of dematerialisation of shares is available on the Bank's website i.e. www.pnb.bank.in under 'Investor Info'.

Explanatory Statement

Item No.1: Election of One Shareholder Director

Pursuant to Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board of Directors shall include Directors elected by their Shareholders other than the Central Government, in a General Meeting. The number of such directors to be elected by Shareholders shall be as given hereunder:

- One Director, where public shareholding is not more than sixteen per cent of the total paid-up capital;
- Two Directors where public shareholding is more than sixteen per cent but not more than thirty-two per cent of the total paid-up capital;
- Three directors where public shareholding is more than thirty-two per cent of the total paid-up capital

As on date, the public shareholding in the Bank is 29.92% and therefore, in terms of the aforesaid provisions, the shareholders are entitled to elect two Directors of the Bank, from amongst themselves other than the Central Government.

Presently the Bank is having two Directors representing the Shareholders on its Board of Directors namely, Shri Ambarish Ojha and Smt. Vandana Bhagavatula. The tenure of Smt. Vandana Bhagavatula is due to complete on 05th October 2026. To fill in the vacancy arising on and from 6th October 2026, the Bank proposes to conduct election of one Shareholder Director.

The shareholders other than the Central Government are entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act/Scheme/Regulations/Notification/Guidelines mentioned herein after.

1. Legal Provisions

The relevant extracts / portions of the relevant Act/Scheme/Regulations/Notifications/Guidelines have been reproduced hereunder:

Act/Scheme/Regulations/ Notifications	Provisions	Short Particulars
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	▪ Substantial Interest ▪ Prohibition of Common Directors ▪ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i)	▪ Restriction on voting rights ▪ No. of Directors to be elected by the shareholders

	Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) and Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	▪ Special knowledge in certain fields ▪ No person shall be eligible to be elected as Director unless he is a person having 'fit and proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ▪ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ▪ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8) Clause 14A	▪ Term of office of elected directors ▪ Disqualifications from being elected as a Director or being a Director of the Bank ▪ Vacation of office of Director ▪ Removal from office of an elected Director ▪ Filling of vacancy in the office of an elected Director ▪ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested. ▪ Special Provision- Exercise of power of any Committee ,by the Board, in case of unavailability of quorum of such Committee
Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67	▪ Exercise of rights of joint holders ▪ Voting at General Meetings ▪ Directors to be elected at General Meetings ▪ List of Shareholders ▪ Nomination of candidates for election ▪ Scrutiny of nominations ▪ Election disputes

	Regulation 68 Regulation 69	▪ Determination of voting rights ▪ Voting by duly authorized representative
Reserve Bank of India ('Commercial Banks – Governance) Directions, 2025 dated 28 th November 2025	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper Criteria for Elected Directors
RBI Master Circular dated 1st July 2015, as amended including any further circular in this regard.	Granting loans and advances to relatives of Directors.	
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.	Provisions relating to Independent Director and their appointment.	

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, the Banking Regulation Act, the Scheme, PNB Regulations as well as RBI Master Directions, as amended, have been made available on the Bank's website bank www.pnb.bank.in. Such extracts will be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Punjab National Bank by email at hosd@pnb.bank.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms i.e. **by 05.00 p.m. of Thursday, 10th September, 2026.**

2. Participation in Election

Those shareholders whose name appear on the Register of Shareholders/ Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL as on the Specified/Cut-off Date i.e., **Friday, 28th August, 2026** shall be entitled to participate i.e., **nominate, contest and vote** in the election of One Shareholder Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to vote in the election of Director.

3. Qualifications required for being Elected as a Director of the Bank

- i) In terms of Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall:
 - A. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -

- Agriculture and Rural Economy,
- Banking,
- Co-operation,
- Economics,
- Finance,
- Law,
- Small-scale industry,
- Information Technology,
- Payment & Settlement Systems,
- Human Resources,
- Risk Management,
- Business Management, and
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of RBI, be useful to the Bank.

B. represents the interest of depositors; or

C. represents the interest of farmers, workers and artisans

- ii) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should have 'Fit and Proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.
- iii) In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.
- iv) Further, the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

4. Disqualifications from being Elected as a Director of the Bank

- i) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, a person shall be disqualified for being appointed as, and for being, a Director:
 - a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.
- ii) If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks-Governance) Directions, 2025 dated 28th November, 2025 and subsequent amendments thereto, if any.

5. Tenure

In terms of Clause 9(4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

6. Vacation of office of directors, etc.

In terms of Clause 11 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970:

- i) If a director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

7. Removal from office of an elected director

In terms of Clause 11A of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the shareholders other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any director elected under clause (i) of sub-section (3) of section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

8. Filling of vacancy in the office of an elected director

In terms of Clause 11B of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970:

- i) where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.

- ii) A person elected or co-operated, as the case may be, under sub-clause (i) shall hold office for the un-expired portion of the term of his predecessor.

9. Special Provision in terms of Clause 14A of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

Pursuant to the Clause 14A of the Scheme, where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the Bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

10. Master Direction - Reserve Bank of India (Commercial Banks-Governance) Directions, 2025

The Reserve Bank of India in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 has issued Reserve Bank of India (Commercial Banks-Governance) Directions, 2025 laying down specific “Fit and Proper” Criteria to be fulfilled by the persons being elected as Directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

The Authority, manner/procedure and criteria for deciding the ‘fit and proper’ status etc. are as under (Para 23 to 28 of RBI directions):

- (i) **Authority:** The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee [*hereinafter referred to as ‘the Committee’*] consisting of only Non-Executive Directors. The GoI Nominee Director and the RBI Nominee Director shall not be part of this Committee. The quorum of the Committee shall be three members, out of which atleast one-half of the members attending the meeting shall be Independent Directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the ‘fit and proper’ status of the persons to be elected as directors under Section 9(3)(i) of the Act. Further, the meetings of the Committee shall be chaired by an independent director and the Chair of the Board shall not chair the Committee.
- (ii) **Manner and procedure:** The Bank shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format from the persons who file their nominations for election. The Nomination and Remuneration Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and examine the information provided in the signed declarations to determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the ‘Fit and Proper’ Criteria mentioned at point (iii). The NRC’s discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done,

shall also be noted. The NRC shall also make references, where considered necessary, to the appropriate authority or persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

(iii) **Criteria:** The Nomination and Remuneration Committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(a) Age - The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.

(b) Educational qualification– The candidate should at least be a graduate.

(c) Experience and field of expertise– The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following areas, namely:

- i. Agriculture and Rural Economy,
- ii. Banking,
- iii. Co-operation,
- iv. Economics,
- v. Finance,
- vi. Law,
- vii. Small-scale industry,
- viii. Information Technology,
- ix. Payment & Settlement Systems,
- x. Human Resources,
- xi. Risk Management,
- xii. Business Management, and
- xiii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of RBI, be useful to the Bank.

(d) **Disqualifications:** In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed under Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80, a candidate shall not:

- I. be a member of the Board of any bank or RBI or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank (which includes a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a cooperative bank and a regional rural bank);
- II. be a person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities. However,

investors of such entities shall not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them;

- III. have served as director in the past on the Board of any Bank (including the Bank in which they have served as director in the past), FI, RBI, or insurance company under any category for six years, whether continuously or intermittently;
- IV. be engaging in the business of stock broking;
- V. be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies' means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.);
- VI. be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any other PSB;
- VII. be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the PSB in which nomination for election is filed.

(e) **Tenure** - An elected director shall hold office for *three years* and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office for a period *exceeding six years*, whether served continuously or intermittently.

(f) **Professional Restrictions – a candidate shall**

- I. Neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned Bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that Bank.
- II. Not have any professional relationship with a Bank or any NOFHC holding any other Bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a Bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Nomination and Remuneration Committee that such relationship with the Bank shall be severed if he is elected as a Director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a Director of the Bank.

- (g) **Track Record and Integrity:** The candidate should not be under adverse notice of any Regulatory or Supervisory Authority/Agency, or Law Enforcement Agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The Nomination and Remuneration Committee shall adopt the criteria as stated above while scrutinizing the nomination of candidates seeking election as new Director (appointment/re-appointment).

(iv) The Banks shall obtain from the elected director:

- a) a Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of Director.
- b) a declaration as on March 31 every year to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

Provided that, where there is change in the information provided earlier, the Bank shall obtain from such director a fresh declaration incorporating the changes.

- c) a full and proper disclosure of their interests and directorships in business entities; and
- d) in case the elected director is a CA (hereinafter referred as 'CA director'), the list of their or their firm's clients

(v) The Banks shall also ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949, and additionally ensure,

- a) that an elected director distances themselves from and does not participate in the Bank's credit or investment decisions involving entities in which they are interested.
- b) to put in place a system of safeguards for a CA director so that they do not participate in Bank's credit or investment decisions involving their / firm's clients'. The CA director shall be required to compulsorily dissociate themselves from the entire process and sign a covenant to this effect; and
- c) that no professional work is allotted to a person who was an elected director of the Bank, for a period of two years after demitting office as such director.

(vi) Where the elected director:

- a) fails to:
 - (i) submit the Deed of Covenant or declaration; or
 - (ii) make proper disclosures; or
 - (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where they are interested; or
- b) makes incomplete or incorrect disclosures, or

- c) involves in such activities that render them 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above;

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

11. Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000

Regulation 10: Exercise of rights of joint holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

Regulation 63: Directors to be elected at general meeting

- (i) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of the Bank.
- (ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64: List of shareholders

- (i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Regulation 65: Nomination of candidates for election

- (i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,
 - a. he is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in the Bank;
 - b. he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;

- c. he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - d. The nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company.
 - e. The nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub- Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Regulation 66: Scrutiny of nominations

- (i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

Regulation 67: Election Disputes

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) & (c) of subsection (3) of section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Regulation 68: Determination of voting rights

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation – For this Chapter, “Company” means any body corporate.

- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Regulation 69: Voting by duly authorised representative

- (i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government / company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

12. List of Shareholders

As provided in Regulation 64 of the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended, a copy of the List of Shareholders will be available at Share Department, Head Office, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi from **Tuesday, 01st September, 2026 onwards** for purchase by Shareholders at Rs.5/- per 1,000 words and part thereof subject to a maximum of Rs.50,000/- (for full shareholders' list) by Demand Draft in favour of Punjab National Bank payable at New Delhi. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used only for canvassing in the election and not for any other purpose whatsoever.

13. Inspection of Register of Shareholders

As provided in Regulation 11 of the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, the Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office, New Delhi on all working days (other than Second and Fourth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e. from Monday to Friday and first and third Saturdays between 11.00 a.m. and 4.00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders. If any

shareholder requires a copy or computer print of select / part information, purchase by Shareholders at Rs.5/- per 1,000 words and part thereof subject to a maximum of Rs.50,000/- (for full shareholders' list)

14. Nomination of Candidates for Election

No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless:

- i. In terms of Regulation 65 of the Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 he/she is a shareholder holding not less than **100 (One hundred) shares** of the Bank as on **Friday, 28th August, 2026** being the Specified Date/Cut-off Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- ii. As on **Thursday, 10th September, 2026**, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India (Commercial Banks-Governance) Directions, 2025 dated 28th November, 2025 and appointment of Independent Director under SEBI (LODR) Regulations 2015 or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.
- iii. The valid nomination is in writing signed by at least **100 (One hundred) shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be submitted to the Bank on or before 05.00 p.m. of Thursday, 10th September, 2026, addressed to the Share Department, Punjab National Bank, Head Office, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi -110075 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- iv. The valid nominations are to be accompanied by a declaration signed by the candidate as per the specimen form of declaration furnished in this Notice duly signed before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations from being a Director. The same should be accompanied with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

- v. The proforma of Nomination Form and Declaration Form are annexed to this Notice (also available on the Bank's website: www.pnb.bank.in).

15. Submission of Nomination Forms

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit the following documents in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope **super scribing thereon "Punjab National Bank - Election of Shareholder Director – 2026, either by hand delivery OR through Speed Post/Regd. Post/Courier addressed to:**

***"The Company Secretary
Share Department,
Punjab National Bank,
Head Office, Plot No.4, Sector 10,
Dwarka, New Delhi – 110075"***

so as to reach on any working day on or before 05.00 p.m. on Thursday, 10th September, 2026

- Duly filled in Declaration Form;
- Valid Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the related documents, testimonials, viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.

The said nomination forms and other documents should be complete in all respect failing which the nominations are liable to be rejected.

Please note that the Bank shall not be responsible for non-receipt or late receipt of Nomination forms, in case the same are dispatched through Speed Post/Regd. Post/Courier OR hand delivered without receipt of acknowledgement from an authorized officer of the Share Department.

16. Scrutiny of Nominations and Election of Director

- i. Nominations shall be scrutinized by the Bank on **Friday, 11th September, 2026** being the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- ii. Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board/ Board of Directors, as the case may be, in terms of RBI Directions and Govt. of India Guidelines.
- iii. The Bank may at the time of Scrutiny of Nominations or as advised by the Committee/Board seek further information / documents from the Candidates.

- iv. After scrutiny and determination of Fit & Proper status by the Committee/ Board, if there is only one valid nomination for the vacancy, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name shall be informed to the Stock Exchanges and uploaded on the Bank's website followed by publication in the newspapers. The newly elected director will assume office with effect from 06th October, 2026. In such an event, the EGM shall stand cancelled since it has been convened *only* for the purpose of Election of One Shareholder Director, and there is no other business on the agenda.
- v. If there is more than one valid nomination, the names of the candidates shall be informed to the Stock Exchanges and uploaded on the Bank's website followed by publication in the newspapers and the Election will be held at the EGM as proposed. The candidate securing the majority of the votes cast through remote E-voting and E-voting at the Meeting will be declared as elected and his/her name will be announced. The newly elected director will assume office with effect from 06th October, 2026.

17. Withdrawal of Nominations

In the event of more than one valid candidate and any of the candidate(s) desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so by emailing a scanned copy of the signed letter to this effect addressed to the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Head Office, Dwarka, New Delhi at hosd@pnb.bank.in by 05.00 p.m., on or before Monday, 21st September, 2026.

18. Disputes

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.

19. Removal of a Director

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfil the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

20. Interest of Directors

Directors of the Bank, in case they decide to contest the elections, may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Place: New Delhi
Date: 01.09.2026

Sd/-
(Bikramjit Shom)
Company Secretary
Membership No.: F6517

Sr. No.	
---------	--

Nomination Form

(Refer Regulation 65 of the PNB Regulations)

To,

**Punjab National Bank
Head Office, New Delhi**

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to EGM Notice dated 01.09.2026 I,
a shareholder of Punjab National Bank holding equity shares of Rs.2/- each
(fully paid-up) as on Friday, 28th August, 2026 i.e., the Specified / Cut-off Date for
participating in the Election, do hereby nominate
Shri/Smt..... son/
daughter/wife of..... residing at
.....

..... for contesting election of a Director of Punjab
National Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of
the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the
Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Friday, 25th
September, 2026.

Name:

Signature:

Number of shares held:

Regd. Folio No.:

(if not dematerialized)

DP ID No. & Client ID No.:

(If dematerialized)

Place:

Date:

Notes:

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- 3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

Declaration by the Candidate
(Refer Regulation 65 of the PNB Regulations)

I, son/daughter/wife of Shri/Smt.
.....resident of
hereby confirm that:

- a. I am a shareholder holding equity shares of Rs.2/- each of the Bank as on 28th August, 2026 i.e., the Specified /Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry (viii) Information Technology, (ix) Payment & Settlement Systems, (x) Human Resources, (xi) Risk Management, (xii) Business Management, and (xiii) any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of RBI, be useful to the Bank and I represent the interest of the *depositors / farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials,

**Delete whichever is not applicable*

- c. I accept the nominations numbering to
- d. I am willing to contest for the election of Director of Punjab National Bank;
- e. I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 and Master Directions issued by RBI, and Guidelines issued by Govt. of India with regard to Non-Official Directors of Public Sector Banks;
- f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;
- g. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013;

I further declare that:

- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors;
- i. I have not been found to be of unsound mind and have not been so declared by a competent court;

- j. I have not been convicted by any court of law;
- k. I have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude or otherwise;
- l. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court;
- m. I will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter;
- n. I am not a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other Bank;
- o. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;
- p. I have not served as Director in the past on the board of any Bank/FI/ RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently;
- q. I am not engaged in the business of stock broking;
- r. I am not holding the position of a Member of Parliament or State legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.);
- s. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any Nationalised Bank or State Bank of India;
- t. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Punjab National Bank in which nomination for election is filed;
- u. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Punjab National Bank nor am I engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Punjab National Bank;
- v. I am not having any professional relationship with a Bank or any NOFHC holding any other bank and undertake to sever the relationship, if any, with the Bank if elected before assuming charge as a Director;
- w. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution;
- x. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI Master Directions dated 28.11.2025) before assuming office as a Director;
- y. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants;

z. I undertake to comply with relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as Director of the Bank, if elected;

aa. I herein furnish below the details of my present as well as past directorship in other Companies/ Banks/ other entities; and

Name of the Company, Bank, other entities	Directorship details viz., tenure, nature of directorship, period, etc.

(add additional rows / sheets if necessary)

bb. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects;

Name	
Signature	
Number of shares held	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank.

Name of the Bank: Punjab National Bank

Declaration and Undertaking by a Proposed Director
(with appropriate enclosures)

Affix passport size
photo here

Date:...../...../.....

Sr. No.	Particulars	Information Disclosed			
I	Personal details				
1.	Name in full	First Name	Middle Name	Last Name	
2.	Father's Name				
3.	Gender (M/F/Others)		SC/ST/OBC		
4.	Present Address				
5.	Permanent Address				
6.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:				
7.	Nationality				
8.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	- - / - - / - - - - Age: - - years - - months - - days			
9.	Educational Qualifications				
10.	Director Identification Number (DIN)				

11.	Aadhaar Number (optional)									
12.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle/Ward (c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Date of filing</th> <th>Amount of tax paid (INR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Date of filing	Amount of tax paid (INR)						
Date of filing	Amount of tax paid (INR)									
13.	Details in the form of a brief write up on the <i>relevant knowledge or experience</i> in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, or in matters or areas relating to Information Technology/ Payment & Settlement Systems/ Human Resources/ Risk Management/ Business Management, or any other matter the special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank.									
14.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)									
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.									
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: (a) Membership Number of Institute of									

	Chartered Accountants of India (ICAI): (b) Date of registration with the ICAI: (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:				
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:	Name of the Bank	Branch	Type of A/c	A/c Number
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)				
19.	Any other information relevant to Directorship of the Bank				
II	Relevant Relationships of proposed director				
1.	List of Relatives (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 and Rule 4 of Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014) if any, who are connected with any bank:				
2.	List of entities, in which: a) interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013) [Names of the banks/ NBFCs/ companies/ bodies corporate/ firms / association of individuals etc. should be mentioned separately] b) List of entities in which you hold beneficial ownership [Section 89 of the Companies Act, 2013 and also refer to applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]				

	c) List of Trusts in which position of Trustee is held by you (also mention any other relationship with reference to a trust):																	
3.	List of entities, existing and proposed, in which you are holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949. <i>“Substantial Interest” (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds two crore rupees or such other amount as may be notified in the Official Gazette by the Central Government or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;</i>	<table border="1"> <tr> <td><i>Name of the company / firm</i></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Country of incorporation</i></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Number of shares</i></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Face Value of each share</i></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Total face value of share holding</i></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Shareholding as % of total Paid up Capital</i></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Beneficial interest (in value as well as % terms)</i></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</i></td><td></td></tr> </table>	<i>Name of the company / firm</i>		<i>Country of incorporation</i>		<i>Number of shares</i>		<i>Face Value of each share</i>		<i>Total face value of share holding</i>		<i>Shareholding as % of total Paid up Capital</i>		<i>Beneficial interest (in value as well as % terms)</i>		<i>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</i>	
<i>Name of the company / firm</i>																		
<i>Country of incorporation</i>																		
<i>Number of shares</i>																		
<i>Face Value of each share</i>																		
<i>Total face value of share holding</i>																		
<i>Shareholding as % of total Paid up Capital</i>																		
<i>Beneficial interest (in value as well as % terms)</i>																		
<i>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</i>																		
4.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.																	
5.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past you are a member of the Board/Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/was held)																	
6.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities																	

	(nature of association to be mentioned), details thereof.	
7.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof	
8.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed at Point II (2) to (7) above.	
9.	Cases, if any, where as an individual, you, or the entities listed at Point II (2) to (7) above have defaulted or declared as wilful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a Bank/NBFC/any other lending institution.	
III	Records of Professional Achievements	
1.	Professional achievements relevant for the directorship.	
IV	Proceedings, if any, against the proposed director	
1.	a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/occupation at any time, details thereof.	
	b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
2.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self and/or against any of the entities listed at Point II (2) to (7) above	

	for violation of economic laws and regulations	
3.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
4.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
5.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
6.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
7.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof	
8.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof (b) If convicted by any Court of law, details thereof.	
9.	If holding any office of profit under any Nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
10.	If as an individual or any of the entities at Point II (2) to (7) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
11.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof	

12.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i>	
V	General Information	
1.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
2.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI	In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper' provide details thereof	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the Deed of Covenant required to be executed with the Bank.

Place:

Date:

Signature of Candidate

Enclosures:

.....
.....

Note:

Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.

Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Place :		
Date:		
Remarks of Nomination & Remuneration Committee/ Board of Directors having satisfied itself that the above information is true and complete.		
Place:		Name and Signature of the Chair of the NRC/ Board
Date:		